चतुर्थ अध्याय

"महिला पुलिस की प्रस्थिति एवं भूमिका"

व्यक्ति समाज में जहां स्थित है वहीं उसकी सामाजिक प्रस्थिति कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रदत्त प्रस्थिति एवं द्वितीय अर्जित प्रस्थिति। यह प्रस्थिति व्यक्ति का सामाजिक पद है और समाज इन्हीं पदों के अनुरूप उसकी भूमिका निर्धारित करते हुए भूमिका अदायगी चाहता है। भूमिका से तात्पर्य है व्यक्ति के द्वारा पद के अनुरूप किये जाने वाले कार्य। जन्म लेने के साथ परिवार एवं समाज के द्वारा व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है उसका निर्वाह आजीवन व्यक्ति को करना पड़ता है। इस पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता। इसी को प्रदत्त सामाजिक प्रस्थिति कहते हैं, लेकिन जिस पद को व्यक्ति अपने प्रवास अथवा ज्ञान अथवा प्रतियोगिता के द्वारा प्राप्त करता है वह उसकी अर्जित प्रस्थिति कहलाती है। जिसका निर्वाह व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दोनों प्रस्थिति व्यक्ति को एक साथ निर्वाह करनी पड़ती हो क्योंकि व्यक्ति एक समय में एक ही प्रस्थिति पर एक ही भूमिका का सही निर्वाह कर सकता है। लेकिन व्यक्ति को जीवन में उक्त दोनों प्रस्थितियों का आवश्यकतानुसार यथास्थान निर्वाह करना पड़ता है। यदि वह दोनों का सामंजस्य करते हुए समायोजन में सफल होता है तो वह समाज में अच्छी दृष्टि से देखा जाता है और यदि वह निर्वाह करने में असफल हो जाता है तो वह स्वतः की नजर में और समाज में हंसी अथवा आलोचना का पात्र हो जाता है।

समाज की महत्वपूर्ण इकाई परिवार होता है और परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य एवं केन्द्रित इकाई महिला होती है। जिसकी भूमिका परिवार एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हुए बहुआयामी होती है। अतः कहा जा सकता है कि महिलाओं की भूमिका एवं प्रस्थिति समाज में बहुआयामी होती है।

वर्तमान युग अर्थप्रधान युग है। अतः समाज मनीमाइन्डेड होता जा रहा है। आज का व्यक्ति परिवर्तन के इस दौर में अधिक से अधिक अर्थोपार्जन करने का प्रयत्न करता है। जिसके लिए परिवार के अधिकांश सदस्य अपना योगदान देते हैं। भारतीय समाज की परम्परा रही है कि परिवार में पुरुष और स्त्रियों का काम का दायरा घर के अन्दर और बाहर होता है। लेकिन आज यह धारणा तेजी से परिवर्तित हो रही है। आज की स्त्री, पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उसका साथ देने का प्रयत्न करती है। स्त्री शिक्षा का विकास आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण इत्यादि परिवर्तनशील प्रवृत्तियों के कारण आज की नारी घर की चहारदीवारी एवं घरेलू काम–काज के साथ–साथ अर्थोपार्जन हेतु बाहरी दुनिया से सम्पर्क करती है। इस तरह वर्तमान नारी की पद एवं भूमिका में तेजी से परिवर्तन हो रहा है।

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

महिला पुलिसकर्मियों के नौकरी प्राप्त करने का विवरण–

वर्तमान युग अर्थ प्रधान होते हुए प्रतियोगितापूर्ण युग है। वर्तमान समय में नौकरी प्राप्त करना व्यक्ति की प्रतिभा एवं सामाजिक समायोजन पर आधारित है जिसके लिए महिलाओं को विशेष संघर्ष करना पड़ता है। यदि समाज, परिवार, महिला का सहयोग करता है तभी वह दोनों से समायोजन कर पाती है। वर्तमान अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि सुरक्षा जैसे कठिन कार्य करने के प्रति यदि महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न हुई है तो उसे सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके सहयोगी सिद्ध होते हैं।

सारणी संख्या– 4.1

महिला पुलिसकर्मियों के नौकरी प्राप्त करने के तरीके के आधार पर तथ्यो का वितरण

क्र0 सं0	नौकरी प्राप्त करने के तरीके	आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्रतियोगिता द्वारा	145	48.33
2	मृतक आश्रित द्वारा	80	26.66
3	जान–पहिचान द्वारा	60	20.00
4	अन्य	15	05.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं में से सर्वाधिक 48.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी विभागीय प्रतियोगिता से नौकरी प्राप्त करने में सफल हुई है। जबकि 26.66 प्रतिशत महिला

पुलिसकर्मी मृतक आश्रित पर नौकरी प्राप्त की हैं तथा 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी जान–पहिचान द्वारा नौकरी प्राप्त करने में सफल हुई हैं।

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान अध्ययन की अधिकांशतः महिला पुलिस पुरुषों की ही भांति अपनी दक्षता से प्रतियोगिता द्वारा नौकरी प्राप्त करने में सफल हुई है।

महिला पुलिसकर्मियों के नौकरी में आने के कारण–

वर्तमान आर्थिक प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अर्थोपार्जन के कुछ न कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं जिसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। वर्तमान अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि भारतीय महिलायें घरेलू काम–काज के अतिरिक्त वे किन कारणों से इस कार्योजन के प्रति उन्मुख हो रही हैं।

सारणी संख्या– 4.2

महिला पुलिसकर्मियों के नौकरी में आने के कारण के आधार पर तथ्यों का वितरण

क्र0 सं0	नौकरी में आने का कारण	संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं की आर्थिक निर्भरता के लिए	150	50.00
2	घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए	105	35.00
3	पिता/पति की आमदनी कम होने के कारण	15	05.00
4	स्वतन्त्र रहने की इच्छा के कारण	20	06.66
5	आकस्मिक संकट के कारण	10	03.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान अध्ययन की 50.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी स्वयं की आर्थिक निर्भरता के लिए नौकरी में आयी है। 35.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नौकरी में आयी हैं। 05.00 प्रतिशत महिला पुलिस पिता/पति की आमदनी कम होने के कारण नौकरी करती है। 06.66 प्रतिशत महिला पुलिस स्वतन्त्र रहने की इच्छा से नौकरी में आई है तथा 03.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी आकस्मिक संकट के कारण नौकरी में आई हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के पदोन्नति के अवसर के आधार पर विचार–

व्यक्ति जीवन की उन्नति एवं पद की पदोन्नति अवश्य चाहता है। क्योंकि एक ही पद पर रहते हुए एक ही भूमिका के निर्वाह से वह ऊब जाता है। अतः वह पद एवं कार्य परिवर्तन चाहता है साथ ही उसके कार्यानुभव का उचित लाभ न प्राप्त होने से कुण्ठित भी होता है जिसके कारण वह पद के अनुरूप भूमिका निर्वाह में अरूचि दिखाता है और परिणाम प्रभावित होता है। वर्तमान अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिला पुलिसकर्मियों के जीवन में पदोन्नति के कितने अवसर प्राप्त हैं अथवा नहीं?

सारणी संख्या– 4.3

महिला पुलिसकर्मियों के पदोन्नति के अवसर के आधार पर तथ्यों का वितरण

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	190	63.33
2	नहीं	80	26.66
3	कह नहीं सकती	30	10.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकडों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं जिनका प्रतिशत 63.33 है। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का विचार है कि उन्हें पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं है तथा 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी पदोन्नति के अवसर के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकीं।

वेतन सन्तुष्टि के आधार पर महिला पुलिस कर्मियों के विचार–

व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में आय–व्यय का सन्तुलन अति आवश्यक है। आय के अनुसार व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति की आवश्यकताएं अनन्त होती है। जिनमें मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् ही अन्य आवश्यकताओं पर आय के अनुसार ही पूर्ति निर्धारित की जाती है। वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्ति समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दिन–रात अर्थोपार्जन में लगा रहता है। वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया गया है

कि वे अपने वर्तमान वेतन से किस मात्रा में सन्तुष्ट हैं।

सारणी संख्या– 4.4

वेतन संतुष्टि के आधार पर महिला पुलिसकर्मियों के विचार

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	120	40.00
2	नहीं	160	53.33
3	कह नहीं सकती	20	06.66
	योग	300	100.00

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 40.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने वेतन से सन्तुष्ट हैं। 53.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने वेतन से सन्तुष्ट नहीं है तथा 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने वेतन के सम्बन्ध में कुछ कह सकने में असमर्थ हैं।

पेंशन सुविधा के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

भारतीय व्यक्ति भविष्य के प्रति वर्तमान से ज्यादा चिन्तित रहता है चाहे वह जीवन के किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो। उसी के अन्तर्गत कार्योजित महिलायें भी अपने भविष्य के प्रति सचेत रहती है। वर्तमान अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिला पुलिसकर्मी जिस व्यवसाय में संलग्न है उसमें वृद्धावस्था हेतु जीवनयापन की पेंशन सुविधा प्राप्त है अथवा नहीं।

सारणी संख्या–4.5

पेंशन सुविधा के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	180	60.00
2	नहीं	100	33.33
3	कह नहीं सकती	20	06.66
	योग	300	100.00

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 60.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को पेंशन प्राप्त है। 33.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को पेंशन नहीं मिलती है तथा 06.66 प्रतिशत महिला पुलिस पेंशन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकी।

कार्योजन छोड़ने के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। परिस्थितियां ही व्यक्ति को कार्योजन के लिए प्रेरित करती है। अतः कार्योजन एवं सामाजिक परिस्थिति में सहसम्बन्ध पाया जाता है। कभी–कभी आकस्मिक परिस्थिति आदमी के जीवन में ऐसी उत्पन्न होती है जिसके कारण वह कार्योजन से विमुख भी हो जाता है। वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि कार्योजन छोड़ने के सम्बन्ध में महिला

पुलिसकर्मियों के क्या विचार हैं?

सारणी संख्या– 4.6

कार्योजन छोड़ने के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के आधार पर वितरण

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	90	30.00
2	नहीं	190	63.33
3	कह नहीं सकती	20	06.66
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 30.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कार्योजन छोड़ सकती है तथा 63.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कार्योजन नहीं छोड़ सकती तथा 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकी।

कार्योजन से प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

समाज के कुछ पद प्रतिष्ठित माने जाते हैं और कुछ पदों को प्रतिष्ठा के क्रम में निम्न और निम्नतर माने जाते हैं उसी को दृष्टि में रखते हुए व्यक्ति ऐसे कार्योजन को चुनता है जिसके कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा उच्च हो सके। कुछ लोगों को आर्थिक प्रतिष्ठाप्रिय होती है। कुछ को प्रशासनिक एवं कुछ को सामाजिक। सामाजिक सुरक्षा की

दृष्टि से पुलिस प्रशासन को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की प्रतिष्ठायें व्यक्ति को आवश्यकतानुसार प्राप्त होती रहती है। जिससे वह आत्म–गौरव की प्राप्ति करता है। वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उनके कार्योजन से उनको समाज में कैसी प्रतिष्ठा की अनुभूति होती है।

सारणी संख्या–4.7

कार्योजन से प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों का वितरण

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	190	63.33
2	नहीं	80	26.66
3	कह नहीं सकती	30	10.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 63.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने स्वीकार किया है कि कार्योजन से प्रतिष्ठा है तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने इसे नहीं माना तथा 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया।

कार्योजन से पारिवारिक सुख के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

अर्थप्रधान समाज होने के कारण जब परिवार की आय बढ़ती है तो पारिवारिक सुख साधन भी बढ़ते हैं। इसीलिए विभिन्न व्यावसायिक माध्यमों से पारिवारिक सदस्य अपने परिवार की आय बढ़ाने एवं भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन की महिला पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उनके कार्योजन से उनके परिवार को किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है।

सारणी संख्या– 4.8

कार्योजन से पारिवारिक सुख के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	185	61.66
2	नहीं	85	28.33
3	कह नहीं सकती	30	10.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 61.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन से उनके परिवार वालों को सुख प्राप्त होता है। 28.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को उनके कार्योजन से सुख नहीं प्राप्त होता है। 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया।

कार्योजन स्थल के सहयोगियों से प्राप्त सहयोग के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

व्यक्ति एवम् समाज के विकास में सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और सहयोग से ही सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण होता है। असहयोग विघटन को बढ़ाता है एवं व्यक्ति की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन की महिला पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उन्हें विभागीय अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की सहायता प्राप्त होती है अथवा नहीं।

सारणी संख्या– 4.9

कार्योजन स्थल के सहयोगियों से प्राप्त सहयोग के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के आधार पर वितरण

सहयोगियों से सम्बन्ध	अत्यधिक अच्छे हैं	सामान्य	अच्छे	खराब	कह नहीं सकते	योग
उच्चाधिकारियों से	50 (16.66)	100 (33.33)	50 (16.66)	60 (20.00)	40 (13.33)	300
बराबर के सहयोगियों से	30 (10.00)	70 (23.33)	80 (26.66)	95 (31.66)	25 (08.33)	300

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 16.66 प्रतिशत

महिला पुलिसकर्मियों का अपने उच्चाधिकारियों से अत्यधिक अच्छे सम्बन्ध हैं। 33.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का सम्बन्ध सामान्य है। 16.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के सम्बन्ध अच्छे है। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के सम्बन्ध अपने उच्चाधिकारियों से खराब हैं तथा 13.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने अपने उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध के बारे में कुछ नहीं कहा।

10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का अपने बराबर के सहयोगियों से सम्बन्ध अत्यधिक अच्छे हैं। 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का अपने बराबर के सहयोगियों से सम्बन्ध सामान्य है। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का सम्बन्ध अपने बराबर के सहयोगियों से अच्छे हैं। 31.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का अपने बराबर के सहयोगियों से सम्बन्ध खराब है तथा 08.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने अपने बराबर के सहयोगियों से अपने सम्बन्ध के बारे में कुछ नहीं कहा।

विभागीय परीक्षा एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

प्रायः भारत सरकार एवं प्रादेशिक सरकारों की सभी सेवाओं में विभागीय परीक्षा एवं पदोन्नति की व्यवस्था है। जिससे सम्बन्धित विभागीय व्यक्ति अपनी योग्यताएं एवं दक्षता के आधार पर विभागीय महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान

अध्ययन की महिला पुलिसकर्मियों से तथ्यों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया गया है।

सारणी संख्या– 4.10

विभागीय परीक्षा एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के आधार पर वितरण

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	100	33.33
2	नहीं	110	36.66
3	कह नहीं सकती	90	30.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 33.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को विभागीय परीक्षा एवं पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं। 36.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को विभागीय परीक्षा एवं पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं है तथा 30.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकी।

विभागीय दण्ड के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

पुलिस प्रशासन भारतीय सेवा के अन्तर्गत एक अनुशासनबद्ध सेवा है। जिसमें कर्तव्य एवं भूमिका निर्वाह के प्रति व्यक्ति को जागरूक रहना

अतिआवश्यक माना जाता है। पद के अनुरूप यदि व्यक्ति भूमिका का निर्वाह नहीं करता है तो उसे विभागीय दण्ड की व्यवस्था है जो उसकी सेवा सम्बन्धी प्रगति में बाधक होता है। अतः पुलिस प्रशासन का व्यक्ति अन्य विभागों की तुलना में विशेष जागरूक होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि उनके सेवाकाल में उन्हें विभागीय दण्ड प्राप्त हुआ है अथवा नहीं।

सारणी संख्या– 4.11

विभागीय दण्ड के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों का वितरण–

विभागीय दण्ड	संख्या		योग
	हाँ (प्रतिशत)	नहीं (प्रतिशत)	
चार्जशीट	210 (70.00)	90 (30.00)	300
निलम्बन	90 (30.00)	210 (70.00)	300
बैड रिमार्क	160 (53.33)	140 (44.66)	300
वार्षिक बढ़ोत्तरी का रोकना	70 (23.33)	230 (76.66)	300

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांशतः महिला पुलिसकर्मियों को दण्ड प्राप्त हुआ है जिसमें 70.00 प्रतिशत चार्जशीट, 30.00 प्रतिशत निलम्बन, 53.33 प्रतिशत बैड रिमार्क एवं 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को वार्षिक बढ़ोत्तरी रोककर दण्ड प्राप्त हुआ है। शेष सभी

महिला पुलिसकर्मी को कोई दण्ड नहीं प्राप्त हुआ है।

विवाहोपरान्त नौकरी के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

विवाह एक सामाजिक बन्धन एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों का सूचक है। अक्सर देखा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज में विवाहोपरान्त महिलाओं का स्वतन्त्र चिन्तन एवं निर्णय पति एवं परिवार से प्रभावित होने लगता है जिसके कारण महिलाओं की व्यक्तिगत एवं आर्थिक स्वतन्त्रता बाधित होती है। ससुराल की तुलना में माता–पिता के घर में महिलायें निर्णय लेने में स्वतन्त्र होती हैं। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर वर्तमान शाधे की महिला पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि विवाहोपरान्त महिला पुलिसकर्मी नौकरी करती रहेंगी अथवा छोड़ने का विचार रखती हैं।

सारणी संख्या– 4.12

विवाहोपरान्त नौकरी के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों का वितरण

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	70	23.33
2	नहीं	10	03.33
3	लागू नहीं	220	73.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 23.33 प्रतिशत अविवाहित

महिला पुलिसकर्मियों ने विवाहोपरान्त भी नौकरी करने का विचार व्यक्त किया। 03.33 प्रतिशत अविवाहित महिला पुलिसकर्मियों ने विवाहोपरान्त नौकरी नहीं करने का विचार दिया तथा 73.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों पर यह विचार लागू नहीं होता है।

पद के प्रकृति के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

प्रादेशिक पुलिस सेवाओं में पद सोपान क्रमशः प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से लेकर द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में विद्यमान है और इसी के अनुसार दायित्व एवं अधिकार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस कर्मियों से उनके पद के प्रकृति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी है।

सारणी संख्या– 4.13

पद की प्रकृति के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों का वितरण

क्र0 सं0	पद की प्रकृति	संख्या	प्रतिशत
1	स्थायी	93	31.00
2	अस्थायी	37	12.33
3	तदर्थ/संविदा	90	30.00
4	दैनिक वेतनभोगी	80	26.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 31.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पद की प्रकृति स्थायी है। 12.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पद की प्रकृति अस्थायी है तथा 30.00 प्रतिशत महिला पुलिस के पद की प्रकृति तदर्थ/संविदा एवं 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पद की प्रकृति दैनिक वेतनभोगी की है।

प्रतिदिन कार्यकाल के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

प्रदेश की प्रत्येक सेवाओं में कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य करने के घण्टे निर्धारित होते हैं लेकिन कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनके कार्यकाल का निर्धारण आवश्यकतानुसार घटता–बढ़ता रहता है चूंकि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से सम्बन्धित होता है। अतः पुलिसकर्मियों के कार्य के घण्टे कार्यालयों की तुलना में फिल्ड से अधिक सम्बन्धित होती है। जिसमें कार्य करने की अवधि निर्धारित नहीं होती। महिला पुलिसकर्मियों के लिए यह एक कठिन कार्य माना जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों से उनके काम करने के समय के सम्बन्ध में जानने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या– 4.14

प्रतिदिन कार्यकाल के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों का वितरण

क्र0 सं0	प्रतिदिन कार्य के घण्टे	संख्या	प्रतिशत
1	8 घण्टे तक	80	26.66
2	8 घण्टे से 12 घण्टे तक	48	16.00
3	12 से अधिक घण्टे	172	57.33

	योग	300	100.00

तथ्यों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का कार्यकाल प्रतिदिन 8 घण्टे का है। 16.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी प्रतिदिन 8 घण्टे से 12 घण्टे तक कार्य करती हैं तथा 57.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 12 से अधिक घण्टे प्रतिदिन कार्योजन में रहती है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिदिन का कार्यकाल 12 घण्टे से अधिक होता है।

कार्यस्थल जाने के साधन के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

कर्मचारियों के निवास एवं कार्यस्थल का सह–सम्बन्ध होता है। यदि कार्यस्थल निवास से दूर होता है तो कर्मियों को अधिक समय देना पड़ता है साथ ही समयानुसार कार्योजन स्थल एवं परिवार के दायित्वों के समायोजन में कठिनाई उत्पन्न होती है। चूंकि पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा से सम्बन्धित होता है इसलिए उनकी ड्यूटी कार्योजन स्थल से दूर–दूर तक फैली होती है। जहां आने–जाने के लिए अधिकारियों को विभागीय वाहन सुविधा प्रदान की जाती है जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नीजी एवं अन्य साधनों से आना जाना पड़ता है जिससे उन्हें असुविधा प्राप्त होती है और वे अपने काम को सुचारू रूप से सम्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर महिला

पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उनको कार्योजन स्थल तक जाने में किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है अथवा नहीं।

सारणी संख्या– 4.15

कार्यस्थल जाने के साधन के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों का वितरण

क्र0 सं0	कार्यस्थल जाने के साधन	संख्या	प्रतिशत
1	साइकिल	100	33.33
2	स्कूटी	152	50.66
3	विभागीय वाहन	48	16.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से पता चलता है कि 33.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करना पड़ता है। 50.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कार्यस्थल पहुंचने के लिए स्कूटी का प्रयोग करती है तथा 16.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए विभागीय वाहनों की सुविधा उपलब्ध है।

स्वयं की भूमिका पालन के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

भूमिका निर्वाह का मूल्यांकन दो तरीकों से किया जाता है– प्रथम सामाजिक मूल्यांकन एवं द्वितीय व्यक्तिगत मूल्यांकन। जिसमें सर्वाधिक

महत्वपूर्ण मूल्यांकन आत्ममूल्यांकन होता है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मूल्यांकन वह स्वयं के द्वारा करता है जिससे उसको आत्मसंतुष्टि, गर्व अथवा ग्लानि की अनुभूति होती है। यह उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। अतः वर्तमान अध्ययन में महिलाओं के बहुआयामी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा कार्योजन हेतु दिये गये समय एवं भूमिका के सम्बन्ध में उनके स्वमूल्यांकन का विचार प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या– 4.16

स्वयं की भूमिका पालन के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों का वितरण

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	सन्तुष्ट	170	56.66
2	असन्तुष्ट	110	36.66
3	क्षुब्ध	20	06.66
	योग	300	100.00

आंकड़ों के आधार पर यह पता चलता है कि सर्वाधिक 56.66

प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी स्वयं की भूमिका पालन के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हैं। 36.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी स्वयं की भूमिका पालन के सम्बन्ध में असन्तुष्ट हैं तथा 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी स्वयं की भूमिका पालन से क्षुब्ध हैं।

अन्य पुलिस कर्मियों के प्रति महिला पुलिसकर्मियों के विचार–

किये गये कार्यों का मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका उसके सहकर्मियों के विचारों से किया जा सकता है जिसके आधार पर उसकी विभागीय छवि बनती है और वह छवि प्राप्त करता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों से उनके बारे में अन्य सहकर्मियों के विचारों एवं छवि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी है।

सारणी संख्या– 4.17

अन्य पुलिसकर्मियों के प्रति महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के आधार पर वितरण

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत
1	विभागीय अधिकारी सन्तुष्ट है।	70	23.33
2	सहयोगी कर्मचारी सन्तुष्ट है।	120	40.00
3	अधिकारी/सहयोगी कर्मचारी असन्तुष्ट हैं	80	26.66
4	कह नहीं सकती	30	10.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का विचार है कि उनके कार्यों से विभागीय अधिकारी सन्तुष्ट है। 40.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के विचार से उनके कार्योजन से सहयोगी कर्मचारी सन्तुष्ट हैं। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के अनुसार उनके कार्योजन से उनके अधिकारी/सहयोगी कर्मचारी असन्तुष्ट हैं तथा 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी इस सम्बन्ध में कुछ भी विचार देने में असमर्थ थीं।

त्योहार, उत्सव एवं तनाव के अवसरों पर महिला पुलिसकर्मियों का विचार–

महिलाओं की बहुआयामी भूमिका के कारण उन्हें कार्योजन, परिवार एवं सुरक्षा से सामंजस्य स्थापित करना होता है जो एक कठिन कार्य है। सामाजिक उत्सव, त्योहार एवं सामाजिक तनाव के समय उनके साथ समायोजन करने की कठिनाई का अनुभव होना स्वाभाविक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों से यह पूछा गया कि सामाजिक उत्सव, त्योहार एवं तनाव के समय अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह वे किस प्रकार करने में सफल हो पाती हैं।

सारणी संख्या– 4.18

त्योहार, उत्सव एवं तनाव के अवसरों पर महिला पुलिसकर्मियों के विचारों का वितरण

क्र0 सं0	विचार	संख्या	प्रतिशत

1	अधिक ड्यूटी देना पड़ता है	218	72.66
2	ड्यूटी देने में पारिवारिक तनाव बढ़ता है	60	20.00
3	समायोजन में कठिनाई का अनुभव होता है	22	07.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः 72.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को त्योहार, उत्सव एवं तनाव के अवसरों पर अधिक ड्यूटी देनी पड़ती है। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का विचार है कि त्योहार, उत्सव एवं तनाव के अवसर पर ड्यूटी देने में पारिवारिक तनाव बढ़ता है। 07.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के विचार से ऐसे अवसरों पर ड्यूटी करने से समायोजन में कठिनाई का अनुभव होता है।

निष्कर्ष–

वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित महिला पुलिसकर्मियों के सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमिका की विवेचना की गयी है। अध्ययन से यह विदित होता है कि वर्तमान समय में नौकरी प्राप्त करना व्यक्ति की प्रतिभा एवं सामाजिक समायोजन पर आधारित होता है जिसके लिए महिलाओं को विशेष संघर्ष करना पड़ता है। यदि समाज, परिवार, महिला का सहयोग करता है तभी वह दोनों से समायोजन कर पाती है। वर्तमान अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सूचनादाताओं में से सर्वाधिक 48.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में

सफल होने के बाद नौकरी प्राप्त की हैं। जबकि 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मृतक आश्रित के रूप में नौकरी करती हैं तथा 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने जान–पहचान द्वारा नौकरी प्राप्त करने में सफल हुई हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के नौकरी में आने के कारणों के आधार पर प्राप्त तथ्यों से यह पता चलता है कि 50.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी स्वयं की आर्थिक निर्भरता के लिए, 35.00 प्रतिशत महिला पुलिस घर की स्थिति सुधारने के लिए, 05.00 प्रतिशत महिला पुलिस अपने पिता/पति की आमदनी कम होने के कारण नौकरी करती हैं तथा 06.66 प्रतिशत महिला पुलिस स्वतन्त्र रहने की इच्छा के कारण एवं 03.33 प्रतिशत महिला पुलिस आकस्मिक संकट के कारण नौकरी करती हैं।

प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उन्नति एवं पद की पदोन्नति अवश्य चाहता है क्योंकि एक ही पद पर रहते हुए एक ही भूमिका के निर्वाह से वह उब जाता है। अतः वह पद एवं कार्य परिवर्तन चाहता है। प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के पदोन्नति के अवसर के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 63.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं जबकि 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को यह अवसर प्राप्त नहीं है तथा 10.00 प्रतिशत महिला पुलिस पदोन्नति के सम्बन्ध में कुछ न कह सकी।

वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्ति समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति

करने के लिए ही दिन–रात अर्थोपार्जन में लगा रहता है। वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के वेतन सन्तुष्टि के आधार पर प्राप्त तथ्यों से यह पता चला है कि 40.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने वेतन से सन्तुष्ट है जबकि 53.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने निर्धारित वेतनमान से असन्तुष्ट है तथा 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने वेतन संतुष्टि के सन्दर्भ में कुछ कहने में असमर्थ रही।

व्यक्ति वर्तमान से ज्यादा अपने भविष्य के प्रति ज्यादा चिन्तित रहता है। महिला पुलिसकर्मियों को वृद्धावस्था में जीवनयापन हेतु पेंशन सुविधा प्राप्त है। पेंशन सुविधा के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 66.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को पेंशन सुविधा प्राप्त है जबकि 33.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को पेंशन सुविधा प्राप्त नहीं है तथा 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं दे सकीं।

कार्योजन एवं सामाजिक परिस्थिति में सहसम्बन्ध पाया जाता है। कभी–कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसके कारण उसे कार्योजन से विमुख होना पड़ता है। वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन छोड़ने के सम्बन्ध में विचारों का अवलोकन किया गया है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 30.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण कार्योजन छोड़ सकती है जबकि 63.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ने

किसी भी परिस्थिति में कार्योजन नहीं छोड़ने का विचार दिया तथा 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं दिया।

कार्योजन से प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलता है कि 63.33 प्रतिशत अधिकांशतः महिला पुलिसकर्मियों ने स्वीकार किया कि वर्तमान कार्योजन से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। जबकि 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि वर्तमान कार्योजन से उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी तथा 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने में असमर्थता व्यक्त की।

वर्तमान अध्ययन की महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन से पारिवारिक सुख के सम्बन्ध में विचारों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधिकांशतः महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन से पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। अर्थात् 61.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन से पारिवारिक सुख प्राप्त होता है जबकि 28.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को कार्योजन से पारिवारिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तथा 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं दिया।

कार्योजन स्थल के सहयोगियों से प्राप्त सहयोग के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि 16.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का अपने उच्चाधिकारियों से सम्बन्ध अत्यधिक अच्छा है। 33.33 प्रतिशत महिला पुलिस का सम्बन्ध

अपने उच्चाधिकारियों से सामान्य है। 16.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के सम्बन्ध अच्छे हैं तथा 20.00 प्रतिशत महिला पुलिस के अपने उच्चाधिकारियों से सम्बन्ध खराब है। इसी प्रकार 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का अपने बराबर के सहयोगियों से सम्बन्ध अत्यधिक अच्छे है जबकि 23.33 प्रतिशत महिला पुलिस के सम्बन्ध सामान्य हैं तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के सम्बन्ध अच्छे हैं एवं 31.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का अपने बराबर के सहयोगियों से सम्बन्ध खराब है।

विभागीय परीक्षा एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों से प्राप्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 33.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को विभागीय परीक्षा एवं पदोन्नति के अवसर प्राप्त है जबकि 36.66 प्रतिशत महिला पुलिस को यह अवसर प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार 70.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को विभागीय दण्ड चार्जशीट के रूप में, 30.00 प्रतिशत निलम्बन के रूप में, 53.00 प्रतिशत बैड रिमार्क के रूप में तथा 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों की वार्षिक बढ़ोत्तरी रोककर दण्ड दिया गया है।

विवाहोपरान्त नौकरी के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के तथ्यों से यह पता चलता है कि 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी विवाहोपरान्त भी नौकरी करने का विचार रखती हैं जबकि 03.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी विवाहोपरान्त नौकरी छोड़ देने का विचार रखती हैं तथा 73.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों पर यह विचार लागू नहीं होता

है।

पद की प्रकृति के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 31.00 प्रतिशत महिला पुलिस के पद की प्रकृति स्थायी है जबकि 12.33 प्रतिशत के पद की प्रकृति अस्थायी है तथा 30.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पद की प्रकृति तदर्थ/संविदा है और 26.66 प्रतिशत महिला पुलिस दैनिक वेतनभोगी हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिदिन कार्यकाल के सम्बन्ध में विचारों के आधार पर प्राप्त तथ्यों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 8 घण्टे तक कार्य करती हैं तथा 16.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 8 घण्टे से 12 घण्टे तक कार्य करती हैं जबकि 57.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 12 से अधिक घण्टे तक कार्योजन में रहती हैं।

पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा से सम्बन्धित होता है इसलिए उनकी ड्यूटी कार्योजन स्थल से दूर–दूर तक फैली होती है। जहां आने–जाने के लिए विभागीय वाहन सुविधा प्रदान की जाती है जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निजी एवं अन्य साधनों से आना–जाना पड़ता है। कार्यस्थल जाने के साधन के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के वितरण के आधार पर प्राप्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि 33.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कार्यस्थल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करती है जबकि 50.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों

के पास अपनी स्कूटी है तथा 16.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को कार्योजन स्थल तक पहुंचने के लिए विभागीय वाहन सुविधा प्राप्त है।

व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मूल्यांकन स्वयं ही करता है। जिससे उसको आत्मसन्तुष्टि, गर्व अथवा ग्लानि की अनुभूति होती है। इसी प्रकार स्वयं की भूमिका पालन के सम्बन्ध में महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 56.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी स्वयं की भूमिका पालन से सन्तुष्ट हैं जबकि 36.66 प्रतिशत महिला पुलिस स्वयं की भूमिका पालन के सम्बन्ध में असन्तुष्ट हैं तथा 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपनी भूमिका पालन से क्षुब्ध है।

विभागीय अन्य पुलिसकर्मियों के प्रति महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के आधार पर आंकड़ों को एकत्र करने का प्रयास किया गया जिससे यह पता चला कि 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों से उनके विभागीय अधिकारी सन्तुष्ट हैं तथा 40.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों से उनके सहयोगी कर्मचारी सन्तुष्ट हैं जबकि 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों से उनके अधिकारी/सहयोगी कर्मचारी असन्तुष्ट हैं। 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी इस सम्बन्ध में कोई विचार देने में असमर्थ रहीं।

महिला पुलिसकर्मियों को सामाजिक उत्सव, त्योहार एवं सामाजिक तनाव के समय एक साथ अपनी भूमिकाओं में समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव होना स्वाभाविक हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए

त्योहार, उत्सव एवं तनाव के अवसरों पर महिला पुलिसकर्मियों के विचारों के वितरण के आधार पर तथ्यों को पाने का प्रयास किया गया जिससे यह ज्ञात होता है कि 72.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को त्योहार, उत्सव एवं तनाव के अवसरों पर अधिक ड्यूटी देनी पड़ती है। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का विचार है कि ऐसी स्थितियों में ड्यूटी देने से पारिवारिक तनाव बढ़ता है। 07.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का विचार है कि ऐसे अवसरों पर ड्यूटी करने से समायोजन में कठिनाई होती है।

सन्दर्भ सूची (REFERENCES)

1. लिंटन राल्फ, द स्टडी आफ मैन, पृ0 113–119
2. मर्टन आर0 के0, शोसल स्ट्रक्चर एण्ड सोसल थ्योरी प्रिफेस, 1963, पृ0 668–671
3. हाईमेन, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट्स, 1942, लेख
4. सेरिफ एण्ड सेरिया, ऐन आउट लाइन आफ सोशल साइकॉलाजी, पृ0 175
5. जॉन सन, हैरी एम0, सोशियोलॉजी, द सिस्टमेटिक इन्ट्रोडक्शन, लन्दन, 1963